

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 741] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 24, 2016/कार्तिक 2, 1938 No. 741] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 2016/KARTIKA 2, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 24 अक्तूबर, 2016

सं.फेमा. 373/2016-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा

प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (ग्यारहवाँ संशोधन) विनियमावली, 2016

सा.का.नि. 1002(अ).—भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (ग्यारहवाँ संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची 1 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में अनुसूची-1 के पैराग्राफ 2 में वर्तमान उप-पैराग्राफ (4) के पश्चात एक नया उप-पैराग्राफ '(5)' नाम से अंतर्विष्ट किया जाएगा, जो इस प्रकार है:

4980 GI/2016 (1)

- "(5) किसी अनिवासी एंटीटी द्वारा भारत में स्थापित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो ऐसे क्षेत्र में परिचालन करती है, जहां स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमित है और एफ़डीआई संबंद्ध शर्ते लागू नहीं है, वह संबंधित अनिवासी एंटीटी द्वारा किए जाने वाले निगमन-पूर्व / प्रचालन-पूर्व खर्च हेतु उसकी पूंजी के 5 प्रतिशत अथवा 500,000 अमेरिकी डॉलर, जो भी कम हो, मूल्य तक उक्त अनिवासी एंटिटी के नाम से इक्विटी शेयर अथवा प्रेफ्रेंस शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट जारी कर सकती है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाए।
- ए. इक्किटी शेयर अथवा प्रेफ्रेंस शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट जारी करने के 30 दिनों के भीतर किन्तु यह निगमन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद न हो अथवा रिज़र्व बैंक या भारत सरकार द्वारा किसी अनुमत अवधि के भीतर भारतीय कंपनी को ऐसे लेनदेनों के संबंध में रिज़र्व बैंक को फॉर्म FC-GPR प्रारूप में रिपोर्ट करना होगा।
- बी. जारी की गई इक्किटी शेयर अथवा प्रेफ्रेंस शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट का मूल्य इस विनियमावली की अनुसूची-1 के पैराग्राफ-5 के प्रावधानों के अधीन होगा।
- सी. इस संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा भारतीय कंपनी को जारी प्रमाणपत्र में यह उल्लेख हो कि निगमन-पूर्व / प्रचालन-पूर्व खर्च हेतु जारी की गई इक्किटी शेयर अथवा प्रेफ्रेंस शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हुआ है, जिसके लिए वह प्राप्त हुई थी। उक्त प्रमाणपत्र FC-GPR फॉर्म के साथ संलग्न कर के भेजा जाए।

स्पष्टीकरण: निगमन-पूर्व /प्रचालन-पूर्व खर्च में शामिल राशियों में निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के खाते में विप्रेषित राशि, निवेशक का यदि भारत में खाता है, तो उस खाते में विप्रेषित राशि, किसी परामर्शदाता को, किसी एटर्नी, आदि को अथवा किसी सामग्री आपूर्तिकर्ता / सेवा प्रदाता को निगमन अथवा प्रचालन की शुरुआत हेतु आवश्यक खर्च की राशि शामिल है।

[फा. सं. 1/28/ई.एम./2015]

शेखर भटनागर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद-टिप्पणी :- मूल विनियमावली 8 मई 2000 को जी.एस.आर. सं.406 (अ) भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:—

जी.एस.आर. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001

जी.एस.आर. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001

जी.एस.आर. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001

जी.एस.आर. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002

जी.एस.आर. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002

जी.एस.आर. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003

जी.एस.आर. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003

जी.एस.आर. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003

जी.एस.आर. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003

जी.एस.आर. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003

जी.एस.आर. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004

जी.एस.आर. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004

जी.एस.आर. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004

जी.एस.आर. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004

जी.एस.आर. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004

जी.एस.आर. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005

जी.एस.आर. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005

जी.एस.आर. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005

जी.एस.आर. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005

जी.एस.आर. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005

जी.एस.आर. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005

जी.एस.आर. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006

जी.एस.आर. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006 जी.एस.आर. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007 जी.एस.आर. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007 जी.एस.आर. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007 जी.एस.आर. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008 जी.एस.आर. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008 जी.एस.आर. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009 जी.एस.आर. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010 जी.एस.आर. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012 जी.एस.आर. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012 जी.एस.आर. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012 जी.एस.आर. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012 जी.एस.आर. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012 जी.एस.आर. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012 जी.एस.आर. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012 जी.एस.आर. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013 जी.एस.आर. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013 जी.एस.आर. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013 जी.एस.आर. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013 जी.एस.आर. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013 जी.एस.आर. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013 जी.एस.आर. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013 जी.एस.आर. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013 जी.एस.आर. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013 जी.एस.आर. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013 जी.एस.आर. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013 जी.एस.आर. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013 जी.एस.आर. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013 जी.एस.आर. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013 जी.एस.आर. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013 जी.एस.आर. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014 जी.एस.आर. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014 जी.एस.आर. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014 जी.एस.आर. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014 जी.एस.आर. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014 जी.एस.आर. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014 जी.एस.आर. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014 जी.एस.आर. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014 जी.एस.आर. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014 जी.एस.आर. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014 जी.एस.आर. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014 जी.एस.आर. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014 जी.एस.आर. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014 जी.एस.आर. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014

```
जी.एस.आर. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014
जी.एस.आर. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014
जी.एस.आर. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014
जी.एस.आर. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015
जी.एस.आर. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015
जी.एस.आर. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015
जी.एस.आर. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015
जी.एस.आर. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015
जी.एस.आर. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015
जी.एस.आर. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015
जी.एस.आर. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015
जी.एस.आर. सं. 983(अ) दिनांक 17.12.2015
जी.एस.आर. सं. 165(अ) दिनांक 15.02.2016
जी.एस.आर. सं. 166(अ) दिनांक 15.02.2016
जी.एस.आर. सं. 369(अ) दिनांक 30.03.2016
जी.एस.आर. सं. 537(अ) दिनांक 20.05.2016
```

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th October, 2016

No. FEMA. 373/2016-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Eleventh Amendment) Regulations, 2016

G.S.R. 1002(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:—

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Eleventh Amendment) Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule 1

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Schedule 1, in paragraph 2, after the existing subparagraph (4), a new sub-paragraph, by name '(5)' shall be inserted, namely:

- "(5). A wholly owned subsidiary set up in India by a non-resident entity, operating in a sector where 100 per cent foreign investment is allowed in the automatic route and there are no FDI linked conditionalities, may issue equity shares or preference shares or convertible debentures or warrants to the said non-resident entity against pre-incorporation/ pre-operative expenses incurred by the said non-resident entity up to a limit of five per cent of its capital or USD 500,000 whichever is less, subject to the conditions laid down below.
 - a. Within thirty days from the date of issue of equity shares or preference shares or convertible debentures or warrants but not later than one year from the date of incorporation or such time as Reserve Bank of India or Government of India permits, the Indian company shall report the transaction in the Form FC-GPR to the Reserve Bank.

- b. The valuation of the equity shares or preference shares or convertible debentures or warrants shall be subject to the provisions of Paragraph 5 of Schedule 1 of these Regulations.
- c. A certificate issued by the statutory auditor of the Indian company that the amount of pre-incorporation/pre-operative expenses against which equity shares or preference shares or convertible debentures or warrants have been issued has been utilized for the purpose for which it was received should be submitted with the FC-GPR form.

Explanation: Pre-incorporation/pre-operative expenses shall include amounts remitted to Investee Company's account, to the investor's account in India if it exists, to any consultant, attorney or to any other material/service provider for expenditure relating to incorporation or necessary for commencement of operations.

[F. No. 1/28/EM/2015]

SHEKHAR BHATNAGAR, Chief General Manager-in Charge

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

- G.S.R. No. 158(E) dated 02.03.2001
- G.S.R. No. 175(E) dated 13.03.2001
- G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001
- G.S.R. No. 4(E) dated 02.01.2002
- G.S.R. No. 574(E) dated 19.08.2002
- G.S.R. No. 223(E) dated 18.03.2003
- G.S.R. No. 225(E) dated 18.03.2003
- G.S.R. No. 558(E) dated 22.07.2003
- G.S.R. No. 835(E) dated 23.10.2003
- G.S.R. No. 899(E) dated 22.11.2003
- G.S.R. No. 12(E) dated 07.01.2004
- G.S.R. No. 278(E) dated 23.04.2004
- G.S.R. No. 454(E) dated 16.07.2004
- G.S.K. 110. 454(E) dated 10.07.2004
- G.S.R. No. 625(E) dated 21.09.2004 G.S.R. No. 799(E) dated 08.12.2004
- G.S.R. No. 201(E) dated 01.04.2005
- G.S.R. No. 202(E) dated 01.04.2005
- G.S.R. No. 504(E) dated 25.07.2005
- G.S.R. No. 505(E) dated 25.07.2005
- G.S.R. No. 513(E) dated 29.07.2005
- G.S.R. No. 738(E) dated 22.12.2005
- G.S.R. No. 29(E) dated 19.01.2006
- G.S.R. No. 413(E) dated 11.07.2006
- G.S.R. No. 712(E) dated 14.11.2007
- G.S.R. No. 713(E) dated 14.11.2007
- G.S.R. No. 737(E) dated 29.11.2007
- G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008
- G.S.R. No. 896(E) dated 30.12.2008
- G.S.R. No. 851(E) dated 01.12.2009
- G.S.R. No. 341 (E) dated 21.04.2010
- G.S.R. No. 821 (E) dated 10.11.2012
- G.S.R. No. 606(E) dated 03.08.2012
- G.S.R. No. 795(E) dated 30.10.2012
- G.S.R. No. 796(E) dated 30.10.2012
- G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
- G.S.R. No. 945 (E) dated 31.12.2012
- G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
- G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
- G.S.R. No.515(E) dated 30.07.2013

- G.S.R. No.532(E) dated 05.08.2013
- G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013
- G.S.R. No.344(E) dated 29.05.2013
- G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
- G.S.R. No.393(E) dated 21.06.2013
- G.S.R. No.591(E) dated 04.09.2013
- G.S.R. No.596(E) dated 06.09.2013
- G.S.R. No.597(E) dated 06.09.2013
- G.S.K. 110.597(E) dated 00.09.2013
- G.S.R. No.681(E) dated 11.10.2013
- G.S.R. No.682(E) dated 11.10.2013
- G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013
- G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013
- G.S.R. No. 683(E) dated 11.10.2013
- G.S.R. No. 189(E) dated 19.03.2014
- G.S.R. No. 190(E) dated 19.03.2014
- G.S.R. No. 270(E) dated 07.04.2014
- G.S.R. No. 361 (E) dated 27.05.2014
- G.S.R. No. 370(E) dated 30.05.2014
- G.S.R. No. 371(E) dated 30.05.2014
- G.S.R. No. 435 (E) dated 08.07.2014
- G.S.R. No. 400 (E) dated 12.06.2014
- G.S.R. No. 436 (E) dated 08.07.2014
- G.S.R. No. 487 (E) dated 11.07.2014
- G.S.R. No. 632 (E) dated 02.09.2014
- G.S.R. No. 798 (E) dated 13.11.2014
- G.S.R. No. 799 (E) dated 13.11.2014
- G.S.R. No. 800 (E) dated 13.11.2014
- G.S.R. No. 829 (E) dated 21.11.2014
- G.S.R. No. 906(E) dated 22.12.2014
- G.S.R. No. 914 (E) dated 24.12.2014
- G.S.R. No. 30 (E) dated 14.01.2015
- G.S.R. No. 183 (E) dated 12.03.2015
- G.S.R. No. 284 (E) dated 13.04.2015
- G.S.R. No. 484 (E) dated 11.06.2015
- G.S.R. No. 745 (E) dated 30.09.2015 G.S.R. No. 759 (E) dated 06.10.2015
- G.S.R. No. 823 (E) dated 30.10.2015
- G.S.R. No. 858 (E) dated 16.11.2015
- G.S.R. No. 983 (E) dated 17.12.2015
- G.S.R. No. 165 (E) dated 15.02.2016
- G.S.R. No. 166 (E) dated 15.02.2016
- G.S.R. No. 369 (E) dated 30.03.2016
- G.S.R. No. 537 (E) dated 20.05.2016